कार्यालयः—जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा

—: आम सूचना :—

श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के आदेश दिनांक 03.04.2024 तथा 31.10.2025 के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा कार्यालय में निःशुल्क विधिक सेवा एवं सहायता प्रदान करने हेतु रिटेनर लॉयर के लिए 03 अधिवक्ता, रिटेनर लॉयर 15100 लीगल हेल्पलाईन के लिए 02 अधिवक्ता, परिवार न्यायालय के लिए 02 अधिवक्ता, बाल कल्याण समिति के लिए 01 अधिवक्ता, पुलिस स्टेशन के लिए 03 अधिवक्ता, किशोर न्याय परिषद के लिए 03 अधिवक्ता (01 महिला सहित), महिलाओं के घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए 02 महिला अधिवक्ता तथा सिविल के लिए 02 अधिवक्ता, राजस्व वादों के लिए 02 अधिवक्ता,वरिष्ठ नागरिकों के लिए 02 अधिवक्ता, पीड़िता/वादी के लिए 02 अधिवक्ता, लीगल सर्विसेज ऑफिसर, तेजाब हमला के पीड़ितों के लिए 01 अधिवक्ता, सितारा के लिए 01 अधिवक्ता तथा विधिक जागरूकता कार्यक्रम हेतु 04 अधिवक्ता अर्थात् कुल 30 अधिवक्ता का पैनल सूचीबद्ध करने कि लिए विधिक सेवा प्रदान करने के इच्छुक अधिवक्तागण से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। पैनल का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा। आवेदित व्यक्ति के पास जिला अधिवक्ता संघ में कम से कम 03 वर्ष का कार्य अनुभव हो एवं संबंधित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/महासचिव द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र तथा संबंधित बार एसोसिएशन का पंजीयन प्रमाण पत्र भी संलग्न होना चाहिए। आवेदक इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करें कि आवेदक का किसी भी राजनीतिक दल से संबंध न हो, उनके विरूद्ध कोई आपराधिक एवं दिवानी मामले किसी न्यायालय में लंबित नहीं हो साथ ही आवेदन में वर्णित तथ्य सत्य एवं सही है।

उक्त पैनल के चयन हेतु मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ इच्छुक उम्मीदवार कानून के जिस क्षेत्र में दक्ष हो, उस पैनल के लिए अपना बायोडाटा, स्व अभिप्रमाणित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र, एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/महासचिव द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र तथा संबंधित बार एसोसिएशन का पंजीयन प्रमाण पत्र शपथ पत्र सहित आवेदन हाथों हाथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा कार्यालय में दिनांक **04.11.2025 से 20.11.2025** तक कार्यालय अवधि में जमा कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आदेशानुसार,

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा

31—10—2025